न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 181/2025

कैलाशचन्द्र पिता वालूराम जाति मीणा निवासी मेनाल तहसील वेगूँ .....वादी

वनाम

श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहव वेगूँ .....विपक्षी

उपस्थित :– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री तहसीलदार, वेगूँ
पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक :– 29.12.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थी की कयसुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व जमाबंदी संवत 2071–74 में अंकित है जिसका विवरण इस प्रकार है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
27	251/94	0.4860

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजी संख्या 251/94 रकवा 0.4860 हैक्टर भूमि आवंटन कमेटी वेगूँ के द्वारा प्रार्थी नाना पिता बरम भील निवासी मेनाल को आराजी संख्या 94 मे से रकवा 3 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में अंकित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अंकित करवायी तथा कब्जा प्राप्त किया।

यह कि वक्त आवंटन आराजी संख्या 94 बिलानाम राजस्थान सरकार होकर नाना पिता बिरम भील को 3 बीघा भूमि आवंटित हुई थी वक्त आवंटन राजस्व कर्मचारियो द्वारा आवंटी नाना भील को मौके पर भूमि का कब्जा सिपुर्द किया गया था जो मैनाल से जोगणियामाता जाने वाले मुख्य मार्ग से लगती हुई पश्चिम दिशा में भूमि मे कब्जा सिपुर्द किया उक्त दिनांक से ही आवंटी तथा प्रार्थी उक्त भूमि को काबील काश्त बना उपयोग उपभोग कर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन राजस्व कर्मचारियो की गलती से राजस्व रिकोर्ड के नक्शे में प्रार्थी की आवंटनशुदा भूमि के कब्जे अनुसार तरमीम नहीं करके पूर्व दिशा में तरमीम कर दी गई यह एक राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही एवं लिपकीय त्रुटी है।

यह कि उक्त मौजा मैनाल की आराजी संख्या 94 मीन रकबा 28.1010 हैक्टर भूमि वर्तमान मे भी सरकार के खाते में दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थी को आवंटन भी आराजी संख्या 94 मे से ही किया गया था इसलिये प्रार्थी की कयसुदा भूमि का राजस्व रेकार्ड के नक्शे में जरिये शुद्धीकरण के शुद्धी किया जाता है तो रकवे एवं आराजी मे कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं न ही राजकीय भूमि का रकबा यथावत बना रहेगा।

यह कि प्रार्थी की कयसुदा भूमि का राजस्व रेकार्ड के नक्शे में जरिये शुद्धिकरण के मौके पर कब्जे अनुसार मैनाल से जोगणियामाता जाने वाले मुख्य मार्ग से लगती हुई पश्चिम दिशा में तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है क्यो कि प्रार्थी का वर्तमान में भी राजस्व रिकोर्ड के नक्शे में विद्यमान तरमीम में कब्जाकाश्त नहीं है एवं इससे राज्य सरकार को कोई हानि होने की संभावना नहीं है। वर्णित खातेदारी की आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र. स्वीकार फरमाया जाकर मौजा मेनाल प.ह. रावडदा में प्रार्थी की खातेदारी व कब्ज काश्त की आराजी संख्या 251/94 रकबा 0.4860 हैक्टर भूमि को मैनाल से जोगणिया माता जाने वाले मुख्यमार्ग से लगती हुई पश्चिम दिशा में जरिये शुद्धिकरण के राजस्व रिकोर्ड के नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी भूमिधारी को तलब किया गया, भूमिधारी की ओर से प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेनाल की आराजी संख्या 94 बिलानाम सरकार होकर मिसल नम्बर 776/85 दिनांक 14.02.1985 से उक्त आराजी में 03बीघा भूमि नानालाल पिता वीरम भील निवासी मैनाल को आवंटित हुई जिसका नामान्तरण संख्या 57 दिनांक 17.06.1986 से गैरखातेदारी हक से आवंटी के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। ना0सं0 93नाना की विरासत से शंकर बालु रामू कल्याणीबाई सीताबाई ममलीबाई पिता

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
वेगूँ (चित्तौड़गढ़)

ता जैतीवाई पत्नि स्व.नाना भील के नाम दर्ज हुइ। वेचान से उक्त भूमि वर्तमान में कैलाशचन्द्र पिता बालुराम मीणा निवासी मेनाल के नाम दर्ज रेकार्ड है तरमीम तथा मौके मे भिन्नता है। अन्य तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें।

प्रार्थना पत्र का जवाब भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने पर प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल आर एक्ट पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्धि किया जाने का निवेदन किया गया जबकि भूमिधारी द्वारा अपने जवाब अनुसार कथन किया है कि वर्तमान नक्शे में व प्रार्थी के कब्जे में भिन्नता है।

बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में रिपोर्ट भू0अ0नि0रावडदा का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया प्रश्नगत भूमि की नक्शा लठठ्ठा में तरमीम आराजी संख्या 121 (नाला) व आराजी संख्या 222/94 के मध्य हो रही है, तरमीम वाली भूमि पर खातेदार का कब्जा काश्त नहीं है एवं तरमीम वाला स्थान की भूमि मौके पर खाली पडी हुई है किसी अन्य का कब्जा नहीं होना जाहिर आया हैं । संलग्न पर्चा मौका व नजरी नक्शा एवं हमारे द्वारा पुनः भू.अ.नि. ठुकराई से मोतबिरान की उपस्थिति मे तैयार कर समस्या समाधान शिविर ठुकराई पेश मे कि गई रिर्पाट अनुसार खातेदार का कब्जा उसी मूल आराजी नम्बर 94 मे जोगणिया माता– मैनाल के सडक से लगता हुआ सडक से दक्षिण दिशा में है जिस पर खातेदार द्वारा पक्की पत्थरकोट बनाई हुई है खातेदार द्वारा भूमि कय करने के उपरांत इसी स्थान पर भूमि को आबाद किया व काबिल काश्त बनाया मूल आवंटी का कब्जा वर्तमान केता ने कब्जे वाले स्थान पर था। नक्शा लठठ्ठा मे आ. स. 254/94 मे तरमिम कब व किस सक्षम अधिकारी द्वारा की गई, किसी के हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही नक्शे पर नोट भी नहीं हैं। हमारे द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 57 व 96 व 187,188व 198 का अवलोन किया गया, साथ ही नामान्तरण संख्या 252 जो विक्रय से प्रार्थी कैलाशचन्द्र पिता बालुराम मीणा के नाम पर दर्ज किया गया है का भी अवलोकन किया गया। साथ ही हमारे द्वारा नजरी नक्शा व नक्शट्रेस का अवलोकन भी किया गया। प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि आराजी संख्या 251/94 जो की नक्शे में जोगणिया माता– मेनाल वाली सडक से लगती हुई अंकित की हुई है तथा वर्तमान में प्रार्थी का एवं इससे पूर्व आवंटी का भी कब्जा उक्त भूमि पर होना जाहिर आया है, जो कृषि भूमि आवंटी को आवंटित की गई थी वह भूमि खाली होकर किसी का भी कब्जा काश्त नहीं है वह भूमि वर्तमान में बिलानाम ही भूमि हैं। इस प्रकार सभी दस्तावेज के अवलोकन से मामला स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी को आवंटित की गई भूमि पर कब्जा प्रारम्भ से ही जहॉ दिया गया था वही प्रार्थी काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा भूमि पर कोट पत्थर भी कर रखी है, यह तथ्य मौका पर्चा व रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू0अ0नि0 ठुकराई से मोतबिरान की उपस्थिति मे तैयार कर समस्या समाधान शिविर ठुकराई मे पेश कि गई रिर्पाट से सिद्ध होता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मौजा मैनाल पटवार हल्का रावडदा में प्रार्थी के खातेदारी व कब्ज काश्त की आराजी संख्या 251/94 रकबा 0.4860 हैक्टर भूमि को मैनाल से जोगणियामाता जाने वाले मुख्य मार्ग से लगती हुई दक्षिण दिशा में जरिये शुद्धिकरण के एवं कब्जे के अनुसार राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूॅ को पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 29.12.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(अंकित सामरिया)
उपखण्डअधिकारी,
बेगूॅ जिला चितौडगढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2025/269 दिनांक :– 29/12/25

प्रार्थना पत्र संख्या 181/2025 व अनवान कैलाशचन्द्र बनाम भूमिधारी प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एलआरएक्ट में आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूॅ को दी जाती है।

उपखण्डअधिकारी,
बेगूॅ जिला चितौडगढ़